फार्म संख्या 111

# फर्द अहकाम

नियम 20

## जर्ये अदालत:– जिला कलक्टर, बारां

सरकार बनाम बल्लू कुरैशी

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन राज0 गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवृजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995)      नम्बर 32/2022 सन.........

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज | नम्बर व ता अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.10.2022 | प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र बाबत् सुपुर्दगी वाहन ट्रक नंबर 11 जी.बी. 9941 राज. गौवंशीय पशु ( वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवृजन या निर्यात का विनियमनम) (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत पेश किया। ए.पी.पी. के माध्यम से केस डायरी थाना किशनगंज से तलब की गयी। प्रकरण दर्ज है।<br>केस डायरी प्राप्त होने पर अभिभाषक प्रार्थी एवं सहायक लोक अभि0 की बहस सुनी गयी।<br>अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अधिनियम के तहत थाना किशनगंज द्वारा प्रार्थी का वाहन ट्रक नंबर 11 जी.बी. 9941 जप्त कर लिया गया है। जो थाना किशनगंज में खडा है। उक्त प्रकरण में थाना किशनगंज द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गयी है, अब वास्ते तफ्तीश प्रार्थी के उक्त वाहन की थाना किशनगंज को कोई आवश्यकता नहीं है। जब्तशुदा वाहन का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक व स्वामी है जो उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु सक्षम व्यक्ति है तथा जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा पेश करने को तैयार है। यदि ज्यादा समय तक उक्त वाहन पुलिस थाना किशनगंज में खडा रहा तो उसमें खराबी हो जाने की पूर्ण संभावना है इसलिए उक्त वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। बाद सुपुर्दगी जब भी माननीय न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेगें तब प्रार्थी समय समय पर न्यायालय श्रीमान में पेश कर देगा तथा समस्त शर्तो का प्रार्थी पूर्णत पालना करेगा। अतः प्रार्थी की सुपुर्दगी में उक्त वाहन को दिये जाने का आदेश फरमावें।<br>ए.पी.पी ने दौराने बहस तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी किशनंगज का अवलोकन करवाते हुए कथना किया कि "बाद अनुसंधान मुलजिमान 1. असगर पुत्र उस्मान मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी एच नंबर 50 व्यापारी मोहल्ला [illegible] पुलिस [illegible] सिकन्दरा जिला आगरा उत्तरप्रदेश 2. बल्लू कुरैशी पुत्र [illegible] कुरेशी मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी [illegible] रूरल पुलिस थाना कोसीकला जिला मथुरा उत्तरप्रदेश 3. जाहिद [illegible] इब्राहिम मुसलमान उम्र 36 वर्ष निवासी 1016/6 राठौर नगर कचैरावास कोसीकला रूरल थाना कोसीकला जिला मथुरा उत्तरप्रदेश 4. पप्पू पुत्र शोकत मुसलमान उम्र 50 निवासी रूनकता पुलिस थाना सिकन्दरा जिला आगरा उत्तरप्रदेश के विरूद्ध अपराध धारा 5,8,9,10 राज0 गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवृजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995), 11(घ)(ठ) पशु क्रूरता अधिनियम व 279 भादंस का जुर्म प्रमाणित होने से पेश न्यायालय कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होने पर चालान आदेश सीओ साहब बारां से प्राप्त कर सीएस नंबर 146 दिनांक | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.21 17:09:47 IST
Reason: SelfAttested

06.09.2022 कता की गई। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक नंबर 11 जी.बी. 9941 से कोई तकमिल तफतीस शेष नहीं है।'' रिपोर्ट थाना शा0फा0 रहे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली व केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी किशनगंज का अवलोकन किया। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी मोहम्मद शरीफ पुत्र अमीर खान निवासी नगला शिवजी मथुरा बॉगर तहसील व जिला मथुरा अस्थाई निवासी बरी रोड, धौलपुर (राज0) वाहन संख्या ट्रक नंबर 11 जी.बी. 9941 का रजि0 स्वामी है। जिसका मुख्यार आम जाहिद पुत्र इब्राहिम निवासी 1016/6 राठौर नगर खचैराबांस तहसील छाता जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन से तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है। वाहन थाने पर खडा है। जिसके खराब होने का अंदेशा है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जप्तशुदा वाहन ट्रक नंबर 11 जी.बी. 9941 को सुपुर्दगी में 20 लाख के जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना करते हुए दिया जाता है।

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युवल करवायेगा।
3. वाहन का रंरोगन परिवर्तित नही करेगा।
4. जब भी न्यायालय तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा।
5. वाहन का सामने से व बगल से रंगीन फोटो खिंचवाकर पेश करेगा।

पत्रावली वास्ते पेश होने सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा दिनांक 19.10.2022 को पेश हो।

19/10/22 वकील प्रार्थी उपस्थित। गत आदेश की पालना हेतु समय चाहते हैं। आईन्दा दि० 21/10/22 को पेश हो।

21/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी, प्रार्थी स्वयं व जमानती जाहरसिंह पुत्र होरीसिंह जाति जाट नि. नगला धनुआ ग्राम [illegible] जिला मथुरा (उ.प्र.) के उपस्थित होकर आदेश दि. 15/10/22 की पालना में बीस-बीस लाख का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश किये तस्दीक किये जाकर शा.फा. किये जावें। थानाधिकारी किशनगंज को लिखा जावे कि ट्रक नं. RJ11GB 9941 [illegible] वाहिद [illegible] जाहिद पुत्र [illegible] 1016/6 राठौर नगर [illegible] मथुरा (उ.प्र.) को सुपुर्द [illegible] को पेश करे। [illegible] फोटो वाहन [illegible] केस डायरी थानाधिकारी किशनगंज को लौटाई जावे। पत्रावली [illegible] होकर नंबर से [illegible] हो बाद तामील [illegible] हो। आदेश सुनाया गया।

जाहिद

[signature]

जाहरसिंह

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.21 17:09:47 IST
Reason: SelfAttested